

13360

2020
25-6-2020
ATU

न्यायालय:-योगीराज पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा
(म.प्र.)

संशोधित कार्य विभाजन आदेश - दिनांक 22.06.2020

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत)

इस न्यायिक स्थापना में श्री दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मऊगंज एवं श्रीमती दिव्या सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मऊगंज तथा श्री मनोरम तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा एवं श्रीमती ऋचा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा की पदस्थापना होने से कार्यविभाजन आदेश दिनांक 04-01-2020 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

मैं योगीराज पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत कार्य विभाजन में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रीवा जिले में पदस्थ किए गए उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में उचित व सुचारु रूप से कार्य संपादन हेतु निम्न आदेश प्रसारित करता हूँ जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत दिनांक ~~26-06-2020~~ से प्रभावशील होगा।

1. श्री दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज,
जिला-रीवा (म0प्र0)

1. पुलिस थाना मऊगंज की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न सभी दाण्डिक प्रकरण।
2. पुलिस थाना मऊगंज की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण,
3. पुलिस थाना मऊगंज की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 138 निगोशिएबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, निजी परिवादपत्र एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के विचारण वाले प्रकरण सहित, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर),
4. पुलिस थाना मऊगंज की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न माप-तौल अधिनियम के प्रकरण एवं ~~रेलमिल मऊगंज के उत्पन्न व-व विभाग से तैयार मानक शका के प्रकरण~~
5. पुलिस थाना मऊगंज की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)
7. पुलिस थाना मऊगंज की सीमाओं से संबंधित आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण (50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों सहित)।
8. पुलिस मऊगंज औषधि नियंत्रण, घातक औषधि पदार्थ एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।

9. आबकारी विभाग से उत्पन्न पुलिस मऊगंज मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
10. राजस्व तहसील मऊगंज से उद्भूत माप-तौल अधिनियम के प्रकरण।
- 11 अंतरण पर प्राप्त दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।

02. श्रीमती दिव्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज, जिला-रीवा

1. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न सभी दाण्डिक प्रकरण।
2. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण,
3. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 138 निगोशिएबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, निजी परिवादपत्र एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के विचारण वाले प्रकरण सहित, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर),
4. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न माप-तौल अधिनियम के प्रकरण।
5. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण।
6. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)
7. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की सीमाओं से संबंधित आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण (50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों सहित)
8. पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) क्षेत्र से उत्पन्न औषधि नियंत्रण, घातक औषधि पदार्थ एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।
9. आबकारी विभाग से उत्पन्न पुलिस थाना गढ(मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।

(3)

10 पुलिस थाना मरुगंज, नईगढी, लौर एवं गढ(मरुगंज तहसील की सीमा से संबंधित) की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के परिवाद एवं घरेलू हिंसा के प्रकरण।

10 पूर्व के रिक्त न्यायालयों का समस्त कार्य।

11 अंतरण पर प्राप्त दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।

3. सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मरुगंज, जिला-रीवा

1. पुलिस थाना नईगढी की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न सभी दाण्डिक प्रकरण।

2. पुलिस थाना नईगढी की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण,

3. पुलिस थाना नईगढी की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 138 निगोशिएबल इन्सट्रुमेन्ट एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, निजी परिवादपत्र एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के विचारण वाले प्रकरण सहित, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर),

4. पुलिस थाना नईगढी की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न माप-तौल अधिनियम के प्रकरण।

5. पुलिस थाना नईगढी के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण।

6. पुलिस थाना नईगढी की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)

7. पुलिस थाना नईगढी की सीमाओं से संबंधित आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण (50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों सहित)

8. पुलिस थाना नईगढी क्षेत्र से उत्पन्न औषधि नियंत्रण, घातक औषधि पदार्थ एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।

9. आबकारी विभाग से उत्पन्न पुलिस थाना नईगढी, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।

11 अंतरण पर प्राप्त दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।

04. सुश्री आकांक्षा टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)

1. पुलिस थाना लौर की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न सभी दाण्डिक प्रकरण।
2. पुलिस थाना लौर की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण,
3. पुलिस थाना लौर की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 138 निगोशिएबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, निजी परिवादपत्र एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के विचारण वाले प्रकरण सहित, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर),
4. पुलिस थाना नईगढ़ी थाना लौर की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न माप-तौल अधिनियम के प्रकरण।
5. पुलिस थाना लौर की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)
7. पुलिस थाना लौर की सीमाओं से संबंधित आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण (50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों सहित)।
8. पुलिस लौर औषधि नियंत्रण, घातक औषधि पदार्थ एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।
9. आबकारी विभाग से उत्पन्न पुलिस लौर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
10. राजस्व तहसील लौर से उद्भूत माप-तौल अधिनियम के प्रकरण।
- 11 अंतरण पर प्राप्त दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।

05. श्री मनोरम तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा जिला रीवा

1. पुलिस थाना सिविल लाइन एवं अमहिया रीवा से उत्पन्न धारा 138 निगोशिएबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, निजी परिवादपत्र एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के विचारण वाले प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।
2. अंतरण पर प्राप्त दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।

06 श्रीमती ऋचा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा जिला रीवा

- 1 पुलिस थाना सिटी कोतवाली एवं थाना समान रीवा से

(5)

उत्पन्न धारा 138 निगोशिएबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, निजी परिवादपत्र एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के विचारण वाले प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।

2 पुलिस थाना महिला रीवा एवं सिविल लाइन, सिटी कोतवाली एवं अमहिया रीवा के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण। (सुश्री कंचन चौकसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा का नाम विलोपत)

7. अंतरण पर प्राप्त दांडिक प्रकरणों का निराकरण करना।

रीवा, दिनांक 22.06.2020

June 27/6/20
(योगीराज पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

<i>श्री दीपनारायण सिंह</i>	<i>श्री आकांक्षा टेकाम</i>	<i>श्री पूर्णिमा सिंह बघेल</i>
श्री दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज.	सुश्री आकांक्षा टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज.	सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज.
श्रीमती दिव्या सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज.	सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज.	सुश्री आकांक्षा टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज
सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज	सुश्री आकांक्षा टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज	श्रीमती दिव्या सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज
सुश्री आकांक्षा टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज	सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज	श्री दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज

नोट:- किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में उनके न्यायालय का कार्य सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी अवकाश में रहते हैं और यदि प्रभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी अवकाश या अनुपस्थित रहते हैं तो वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य को सम्पादित करेंगे।

अनुलग्न "ब"

(धारा 164 द.प्र.स. से संबंधित आवेदन)

(6)

क 0	आरक्षी केन्द्र का नाम	स्तम्भ क्रमांक-1	स्तम्भ क्रमांक-2
1	मउगंज	श्रीमती दिव्या सिंह जे.एम.एफ.सी. मउगंज	सुश्री आकांक्षा टेकाम जे.एम.एफ.सी. मउगंज
2	नइर्गढी	सुश्री आकांक्षा टेकाम जे.एम.एफ.सी. मउगंज	श्रीमती दिव्या सिंह जे.एम.एफ.सी. मउगंज
3	लौर	सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. मउगंज	श्रीमती दिव्या सिंह जे.एम.एफ.सी. मउगंज
4	गढ(तहसील मउगंज की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न)	सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. मउगंज	सुश्री आकांक्षा टेकाम जे.एम.एफ.सी. मउगंज

नोट:-

1. धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिए गए कथन की एक प्रति तत्काल संबंधित थाना से उपस्थित विवेचक को उपलब्ध कराई जाये।
2. धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिए गए कथन के संबंध में यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश या अनुपस्थित रहते हैं तो वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को सम्पादित करेंगे।
3. स्तम्भ क्रमांक 1 की अनुपस्थिति में स्तम्भ क्रमांक 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे एवं उनकी भी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।

रीवा, दिनांक-19.06.2020


(योगीराज पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा को
अनुमोदनार्थ एवं अवलोकनाथ सादर प्रेषित।-

अनुमोदित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
DIST. & S. JUDGE : REWA.
REWA (M.P.) 26.6.2020

199/20 श्रीवा 24-6-2020

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
2. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश/ए.एस.जे. रीवा (म.प्र.)।
3. श्री.....ए.सी.जेएम./जे.एम.एफ.सी/जे.एम.एस.सी/रीवा//मऊगंज जिला दण्डाधिकारी रीवा।
5. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।
6. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा (म.प्र.)।
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा मऊगंज जिला-रीवा।
8. जिला आबकारी अधिकारी, रीवा की ओर संबंधित आबकारी निरीक्षकों को सूचित कराने हेतु प्रेषित।
9. डी.एफ.ओ.(जिला वन अधिकारी) रीवा।
10. जिला खाद्य अधिकारी, रीवा।
11. आयुक्त, नगरपालिक निगम रीवा।
12. औषधि निरीक्षक, रीवा।
13. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा।
14. निरीक्षक, नाप तौल विभाग, रीवा।

29/6/2020

(योगीराज पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

29/6/20

29/6/20

29/6/20

29/6/20